




इन्दौर विकास प्राधिकरण

जहाँ निरन्तर विकास ही लक्ष्य है



विज्ञापित क्र. 49

दिनांक : 07.03.2023

Shivraj Singh Chouhan
Hon'ble Chief Minister
Madhya Pradesh

योजना क्रमांक 155 टिगरीया बादशाह रोड़ पर आवासीय उपयोग के (2RK/ 1 BHK & 2BHK) 808 प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन लगातार छः माह तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर विल्टअप एरिया व.मी.में	प्रकोष्ठ की नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	2-RK (E-TYPE)	35	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	49.12 से 49.74 तक	9.74 से 9.86 तक	1.00
2	1-BHK (L-TYPE)	565		77.41 से 79.80 तक	15.35 से 15.81 तक	1.50
3	2-BHK (M-TYPE)	208		101.3 से 106.06 तक	20.09 से 21.01 तक	2.00



लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी दिनांक एवं समय

अ.क्र.	विवरण	पहली लॉटरी	दूसरी लॉटरी	तीसरी लॉटरी	चौथी लॉटरी	पॉचवी लॉटरी	छठी लॉटरी	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	17.03.2023	18.04.2023	18.05.2023	20.06.2023	21.07.2023	22.08.2023	11:30 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	11.04.2023	12.05.2023	14.06.2023	17.07.2023	16.08.2023	19.09.2023	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	12.04.2023	15.05.2023	15.06.2023	18.07.2023	17.08.2023	20.09.2023	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	17.04.2023	17.05.2023	19.06.2023	20.07.2023	21.08.2023	22.09.2023	12:30 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, आवेदन प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयवधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 638 दि. 27.04.2017 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मो.न. 98936-99113 पर सम्पर्क करें एवं प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।